कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल—462004

क्रमांक 774 /आउशि/नि.का/2010 भोपाल, दिनांक 6/8/10

प्रति,

1— **अतिरिक्त संचालक (समस्त)**
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

2— **प्राचार्य (समस्त)**
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः— महाविद्यालयों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में।

—:0:—

कृपया इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 319/आउशि/निका/शा—1/08 भोपाल दिनांक 03 अक्टूबर 2008 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा रैगिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में समुचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा इस संबंध में बार—बार प्रभावी उपाय एवं समयावधि में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार समस्त महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने हेतु समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करें। शैक्षणिक संस्थाओं में Anti रैगिंग कमेटी के सदस्यों का नाम और उनके दूरभाष नंबर प्रदर्शित किये जाये। ऐसे महाविद्यालय जहां छात्रावास संचालित हैं वहां प्राचार्यों को विशेष संवेदनशील एवं सजग रहने की आवश्यकता है। पूर्व निर्देशानुसार छात्रावासों का पंजीयन संबंधित पुलिस थानों में आवश्यक रूप से कराया जाए तथा Anti रैगिंग दस्तों का गठन किया जाए। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास अधीक्षक के अलावा अन्य शिक्षकों को 15—15 विद्यार्थियों के समूह के लिए प्रभारी नियुक्त किया जाए जिससे वे नवीन विद्यार्थियों के संपर्क में रहें तथा कोई जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।

जहां रैगिंग की कोई शिकायत प्राप्त हो वहां प्राचार्य इसकी जांच स्वयं करेंगे और पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे। पुलिस द्वारा विवेचना में दोषी पाये जाने पर छात्रों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जायेगी। कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें।

मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा इस संबंध त्वरित कार्यवाही की जायेगी और की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था अशासकीय महाविद्यालयों में भी अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करें।

(राजीव रंजन)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,